21.5.18

उक्त प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत आप आपके द्वार कैम्प कोर्ट में पेश हुआ। अभियुक्ता का नोटिस बार तामील प्राप्त। अभियुक्ता स्वयं ने रिपोर्ट/जमानत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आगे उसे परिवाद की [illegible] [illegible] पारस्पारि

[illegible]

अध्यक्ष
[illegible] अदालत
[illegible]

चैन-से (और प्रतिबंधित (सूची) आतंक-
वादी [illegible] पक्षों को चुना
गया। प्रशिक्षण का प्रति पंक्ति निर्धारण
किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रकाश
से लिखवाया जाकर बार-बार
आश्रित किया गया। [illegible]
[illegible] बार-बार जाता
रखकर है।

अध्यक्ष
[illegible] अदा[illegible]
[illegible]